निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 फाल्गुन 1947 (श0)

(सं0 पटना 217) पटना, मंगलवार, 24 फरवरी 2026

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)

अधिसूचना
16 जनवरी 2026

सं० सं० 12/चक0 26(क)–2/2016–85/चक०––**बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण** अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नक्शों और अभिलेख तैयार कर लिये जाने और समेकन स्कीम के अधीन रैयतों को अन्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत **मौजा–समोसर, थाना नं0 468, अंचल–नावानगर, जिला–बक्सर** इस अधिसूचना की तिथि से उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन अधिसूचित है, की समेकन संक्रियाएं बन्द की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप सचिव।

16 जनवरी 2026

सं० सं० 12/चक0 26(क)–2/2016–85/चक० दिनांक 16 फरवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप सचिव।

The 16th January 2026

No. 12/चक0 26(क)–2/2016–85/चक०––In exercise of the powers conferred by section 26(A) of Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956 (Bihar Act XXII 1956) the Governor of Bihar is pleased to declare that on preparation of new maps and records and on issue of certificate of transfer to the Raiyats under the scheme the consolidation scheme is being closed with effect from date of this notification in **Mauja- Samosar, Thana no.-468, Anchal-Nawanagar, District-Buxar** which is notified under section 3(1) of the said Act for consolidation of holdings.

By Order of the Governor of Bihar,
Sd/-Illegible,
Deputy Secretary of Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 217-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in